महत्वपूर्ण एवं खास

जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स समिति की बैठक 10 मार्च को

रायगढ़। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल की अध्यक्षता में खनिज विभाग की जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स समिति की बैठक 10 मार्च को दोपहर 12 बजे से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित होगी।

12 वीं बोर्ड की सामान्य अंग्रेजी परीक्षा संपन्न

8,657 परीक्षार्थी में 141 अनुपस्थित रहे

रायगढ़। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा-2025 कक्षा 12 वीं बोर्ड परीक्षा के तहत 4 मार्च को सामान्य अंग्रेजी विषय की परीक्षा संपन्न हुई। जिसमें 8 हजार 657 परीक्षार्थी संख्या दर्ज की गई थी। जिसमें से 8 हजार 516 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिलाई। 141 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। जिले में कहीं भी नकल प्रकरण दर्ज नहीं किया गया है। परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुआ।

डिप्टी लीगल एड डिफेंस कौंसिल एवं असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल के रिक्त पदों पर 25 मार्च तक मंगाए गए आवेदन

रायगढ़। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा छ.ग.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के परिपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायगढ़ के अन्तर्गत रिक्त डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल के 01 एवं असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल के 04 रिक्त संविदा पदों पर भर्ती के लिए 25 मार्च 2025 सायं 5 बजे तक आवेदन मंगाए गए है। इच्छुक आवेदक नियत तिथि एवं समय पर कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ में आवेदन जमा कर सकते है। विस्तृत जानकारी जिला न्यायालय रायगढ़ के वेबसाईट https://raigarh.dcourt.gov.in में अवलोकन कर सकते है।

आर्थिक गड़बड़ी मामले में तत्कालीन एसडीएम अभनपुर निलंबित

रायपुर (आरएनएस)। रायपुर से विशाखापट्टनम प्रस्तावित इकॉनामिक कॉरिडोर सडक़ निर्माण के दौरान अभनपुर के तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन को भूस्वामियों को अवैध रूप से लाभ पहुंचाकर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने के मामले में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय से जारी आदेशानुसार अभनपुर के तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी निर्भय कुमार साहू पर यह गंभीर आरोप लगा था कि उन्होंने भू-अर्जन के दौरान निजी भूस्वामियों को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाया था। वर्तमान में साहू आयुक्त नगर पालिक निगम जगदलपुर में पदस्थ थे, उन्हें निलंबित करते हुए मुख्यालय कार्यालय आयुक्त बसतर संभाग में अटैच कर दिया गया है।

शिक्षिका से दुष्कर्म,आरोपी फरार

रायपुर (आरएनएस)। जिले के आरंग में एक शिक्षिका के साथ दुष्कर्म किये जाने का मामला सामने आया है। देर रात अज्ञात व्यक्ति ने शिक्षिका के घर में घुसकर घटना को अंजाम दिया और फरार हो गया। मामले की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है। मामला आरंग थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के अनुसार घटना दो फरवरी की रात की है। एक शिक्षिका घर में अकेली थी। वह खाना खाने के बाद सोने जा रही थी, इसी दौरान अज्ञात बदमाश अचानक घर में घुस आया और शिक्षका से मारपीट करते हुए दुष्कर्म किया औरी फ रार हो गया। जिसके बाद शिक्षिका ने इसकी सूचना आरंग पुलिस को दी। पुलिस ने एफ आईआर दर्ज कर अज्ञात आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

महिला पंचो की जगह उनके पतियों का हुआ शपथ, मचा हड़कप

कवर्धा-रायपुर (आरएनएस)। जिले के पंडरिया ब्लॉक अंतर्गत परसवारा ग्राम पंचायत में पंचायत सचिव द्वारा 7 महिला पंचों के बजाए उनके पतियों को शपथ दिलाने का मामला सामने आया है, साथ ही बताया जा रहा है कि उक्त शपथ ग्रहण समारोह का वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ पंचायत सचिव द्वारा पतियों को शपथ दिलाए जाने के चलते निर्वाचित होने के बाद भी महिला पंच शपथ नहीं ले पाए हैं फिलहाल मामला गर्म होते हुए दिखाई दे रहा है।

भाई ने भाई का सिर फोड़ा, अपराध दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। तेलीबांधा थाना क्षेत्र में दो भाईयों के बीच उपजे विवाद में एक भाई ने दूसरे के सिर पर लोहे के रॉड से हमला कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। जानकारी के अनुसार मोहम्मद ईशाक का गैरेज है, जिसमें भाई का भी हिस्सा है। 2 मार्च को मोहम्मद इकबाल अवन्ति विहार गैरेज पहुंचा और अपने भाई से बिना पूछे गैरेज का सामान बेचने लगा। जिसका विरोध करने पर मोहम्मद इक़बाल गाली गलौज पर उतर आया और इतना ही नहीं लोहे की पाईप से अपने भाई मोहम्मद ईशाक के सिर पर हमला किया। हमले में पीड़ित को गंभीर चोंट आई है। सिर में कई टांके लगे हुए है। बता दें कि घटना की जानकारी पीड़ित की बेटी ने पुलिस को दी।

फॉर्मर रजिस्ट्री पोर्टल में किसानों के पंजीयन कार्य में तेजी लाने कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने दिए निर्देश

- बैंक केसीसी के निरस्त प्रकरणों में कारण का करें उल्लेख
- शिकायत पोर्टल के आवेदनों का प्राथमिकता से करें निराकरण
- कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने ली समय-सीमा की बैठक

रायगढ़

कलेक्टर कार्तिकेया ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक ली। उन्होंने फॉर्मर रजिस्ट्री पोर्टल में किसानों के पंजीयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले के किसानों का शत-प्रतिशत अनिवार्य रूप से पंजीयन करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक हल्का पटवारी के पास किसानों की जानकारी उपलब्ध है, कृषि विभाग संबंधित पटवारियों से समन्वय कर कार्य में प्रगति लाए। इस दौरान एडीएम संतन देवी जांगड़े, अपर कलेक्टर रवि राही, आयुक्त नगर निगम बृजेश सिंह क्षत्रिय सहित जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने विभागीय कार्यों की समीक्षा की।

कलेक्टर गोयल ने नगरीय क्षेत्रों में पेयजल आवर्धन योजना के तहत खरसिया, किरोड़ीमल नगर, लैलूंगा एवं धरमजयगढ़ के सीएमओ से पेयजल के संबध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की समुचित व्यवस्था की जाए। साथ ही उन्होंने निगम आयुक्त क्षत्रिय को पेयजल एवं कचरा उठाव के संबंध में सीएमओ की बैठक लेने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने प्रयास विद्यालय, स्वामी आत्मानंद कॉलेज, संगीत महाविद्यालय, चपले में कॉलेज, धान संग्रहण केंद्र हेतु जमीन चिन्हांकन करने एवं आबंटन कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने उद्यानिकी कॉलेज के शिक्षण सत्र प्रारंभ नहीं होने पर नाराजगी जताई।

कलेक्टर गोयल ने कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन मत्स्य पालन विभाग के केसीसी प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी विभागों में केसीसी के लंबित प्रकरणों की संख्या अधिक है। सभी अधिकारी बैंकों से समन्वय कर निराकृत करें। इस दौरान उन्होंने लीड बैंक एवं अपेक्स बैंक को निर्देशित किया कि केसीसी के निरस्त प्रकरणों पर कारण उल्लेखित करें, ताकि ज्ञात हो सके कि विभागों द्वारा कितने प्रकरण भेजे गए थे तथा कितने प्रकरण रिजेक्ट हुए इसके साथ ही इसकी जवाबदेही तय की जा सके। इस दौरान उन्होंने अपार आईडी के प्रगति के संबध में शिक्षा विभाग से जानकारी ली। उन्होंने खाद्य विभाग को शत-प्रतिशत ई-केवाईसी के निर्देश दिए और स्टॉक सत्यापन के संबंध में भी जानकारी ली। बैठक में कलेक्टर गोयल ने ई ऑफिस एवं ई-एचआरएमएस विभागीय अधिकारियों से जानकारी ली, उन्होंने सभी अधिकारियों को जानकारी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए।

शिकायत पोर्टल में प्राप्त आवेदनों का समय-सीमा में करें निराकरण

कलेक्टर गोयल ने सीएम जनदर्शन, पीजीएन पोर्टल, कलेक्टर जनदर्शन सहित विभिन्न पोर्टल में प्राप्त शिकायतों एवं मांगों के आवेदनों के संबंध में विभागवार समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गत सप्ताह निराकरण की स्थिति बेहतर रही। उन्होंने सभी विभागों को प्राप्त आवेदनों का समय-सीमा का ध्यान रखते हुए गुणवत्ता पूर्ण निराकरण के निर्देश दिए।

गंज पीछे खरसिया में शराब रेड, अवैध शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़

खरसिया पुलिस ने प्रशिक्षु आईपीएस हर्षित मेहर (थाना प्रभारी खरसिया) के नेतृत्व में गंज पीछे इलाके में एक गोदाम पर दबिश देकर काफी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि विजय साहू नामक व्यक्ति अपने घर से सटे गोदाम में अवैध रूप से शराब का भंडारण कर बिक्री कर रहा है। सूचना मिलते ही प्रशिक्षु आईपीएस हर्षित मेहर ने चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक संजय नाग के साथ टीम गठित कर कार्रवाई को अंजाम दिया।

पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर विजय साहू को उसके घर में पाया, जिसके बाद गोदाम की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान 30 पाव देशी मदिरा प्लेन और 30 पॉलिथीन पैकेट में करीब 60 एमएल महुआ शराब (1 लीटर 700 मिलीलीटर) कुल शराब 7 ली. 200 मिली, कीमत करीब 2900 रूपये बरामद हुई। शराब को ज़ब्त कर पंचनामा तैयार किया गया। जब आरोपी से वैध दस्तावेज मांगे गए, तो वह पेश करने में असफल रहा। इसके बाद आरोपी विजय साहू (पिता स्व. राजाराम साहू, उम्र 60 वर्ष, निवासी गंजपीछे खरसिया) के खिलाफ धारा 34(2), 59(क) आबकारी अधिनियम के तहत चौकी खरसिया में मामला दर्ज किया गया।

इस कार्रवाई में प्रशिक्षु आईपीएस हर्षित मेहर के साथ चौकी प्रभारी संजय नाग, प्रधान महेन्द्र खरे, आरक्षक सत्यनारायण सिदार, प्रीतम कुजुर और महिला आरक्षक सलीमा टोप्पो शामिल रहे। खरसिया पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। खरसिया पुलिस की इस तरह की अवैध गतिविधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगा।

धरमजयगढ़ वनमंडल : वन अग्नि घटना की सूचना के लिए टोल फ्री नंबर 9302477261 जारी

- वनों में आग लगाते पकड़े जाने पर भारतीय वन अधिनियम के तहत होगी कार्यवाही

रायगढ़

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में वनमण्डलाधिकारी धरमजयगढ़ वनमंडल द्वारा वन अग्नि घटना को रोकने हेतु वनक्षेत्रों में घटने वाली अग्नि घटनाओं की सूचना के लिए 24x7 टोल फ्री नम्बर 9302477261 जारी किया गया है। जिससे कि समय पर अग्नि घटनाओं के संबंध में जानकारी मिल सके एवं वनों को अग्नि से बचाया जा सकें। अग्नि सीजन में जंगल में आग लगने की घटनाएं घटित होती है, धरमजयगढ़ वनमण्डल घने जंगल से घिरा हुआ है। वनांचल क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों के लिए वनोपज संग्रहण जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन है। ग्रामीण वनोपज संग्रह के लिए पेड़ों के नीचे आग लगाते हैं। इसी तरह दावानल के कारण जंगल में आग लगने की घटनाएं घटित होती है।

वनमण्डाधिकारी धरमजयगढ़ ने जनसामान्य को सूचित करते हुए कहा कि जंगलों को आग से बचाने हेतु जंगल के गुजरते समय बीड़ी, सिगरेट के जलते टुकड़े न फेकें। वनोपज संग्रहण के लिये पेड़ के नीचे आग न लगाएं। वन अग्नि का मुख्य कारण महुआ संग्रहण है, सीजन से पूर्व महुआ वृक्षों का चिन्हांकन कर लें, संग्रहण कर्ता की जानकारी रखें और विनाश विदोहन समझाइश दें। जंगल के भीतर आग लगाकर न छोड़ें। वनों के आसपास खेतों में आग न लगाएं। अग्नि घटनाएं हाथी को भगाने और परेशान करने या वन्य प्राणी के शिकार के उद्देश्य से भी लगायी जाती है, इस संबंध में ग्रामीणों को समझाएं, जन प्रतिनिधियों के साथ बैठकर मुनादी कराएं, असामाजिक तत्वों पर नजर रखें और कानूनी कार्यवाही करें।

वनों को अग्नि से बचाव हेतु परिक्षेत्र अधिकारियों एवं उनके अधीनस्थ परिक्षेत्र सहायक एवं परिसर रक्षकों के साथ समिति सदस्यों को ग्रामीणों के बीच वनों की अग्नि से सुरक्षा का व्यापक प्रचार-प्रसार करने आवश्यक निर्देश दिये गये हैं। जिससे वनों में घटित होने वाले अग्नि दुर्घटना को कम किया जा सकें। वनों की अग्नि सुरक्षा हेतु फायर वाचर नियुक्त किये गये हैं। जिन्हें मौके पर उपस्थित रहकर अग्नि घटना की नियमित जांच करने निर्देशित किया गया है। आग लगने के मामले को भारतीय वन अधिनियम 1972 व वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अपराध की श्रेणी में रखा गया है। यदि आग लगाते पकड़े जाने पर उक्त अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

जनदर्शन में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे आवेदकों ने सुनाई अपनी समस्या

रायगढ़

जिला स्तरीय आयोजित साप्ताहिक कलेक्टर जनदर्शन में मंगलवार को जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों ने अपनी मांग एवं समस्याओं के संबंध में आवेदन किया। जनदर्शन में राशन कार्ड, चिकित्सा, आवास निर्माण, आर्थिक सहायता राशि जैसे विभिन्न आवेदन भी प्राप्त हुए।

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में जनदर्शन में एडीएम संतन देवी जांगड़े ने लोगों की समस्याओं और शिकायतें सुनी और उनसे आवेदन प्राप्त किए। मौके पर अपर कलेक्टर रवि राही सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

दीनदयाल कालोनी ढिमरापुर रायगढ़ की आरती साहू उज्जवला योजना के गैस कार्ड प्रदाय किए जाने संबंधी आवेदन प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि उज्जवला योजना अंतर्गत गैस कनेक्शन तो प्राप्त हुआ है, लेकिन कार्ड अब तक अप्राप्त है। जिसकी वजह से गैस रिफिल कराने में बहुत परेशानी हो रही है। तहसील खरसिया के ग्राम छोटे मुड़पार निवासी शंकर लाल पटेल मोटराईज्ड ट्राय सायकल प्रदाय किए जाने के संबंध में आवेदन लेकर आए थे। उन्होंने बताया कि वह बचपन से 80 प्रतिशत दिव्यांगता की श्रेणी में आते है। जिसकी वजह से हर समय किसी दूसरे का सहारा लेकर चलना पड़ता है। उन्होंने गांव में सरपंच एवं सचिव को भी इस संबंध में अवगत करा चुके है, लेकिन आज पर्यन्त कोई निराकरण नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि आज यहां मोटराईज्ड ट्राय सायकल मिल जाता तो वह दैनिक जीवन में बिना किसी के सहारे अपना काम स्वयं कर लेते। तहसील तमनार के ग्राम पंचायत जोबरो निवासी रामसिंह रोड चौड़ीकरण में अधिग्रहित भूमि का मुआवजा राशि प्रदाय के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा रोड चौड़ीकरण के खातिर उनकी कृषि भूमि को भू-अर्जन किया गया था। भू-अर्जन के एवज में मुआवजा राशि प्रदाय किया जाना था लेकिन आज पर्यन्त तक मुआवजा राशि नहीं मिल पाया है। इस संबंध में उन्होंने एसडीएम घरघोड़ा तथा संबंधित शासकीय कार्यालयों में जाकर मुआवजा राशि दिलाए जाने संबंधी मांग की लेकिन मुआवजा राशि नहीं मिल पाया है। विकासखण्ड तमनार के ग्राम-डोलेसरा निवासी फणेश्वर निषाद भूमि अधिग्रहण के एवज में नौकरी की मांग को लेकर जनदर्शन में आए थे। उन्होंने बताया कि उनकी निजी भूमि को एक कंपनी द्वारा अधिग्रहित किया गया है। लेकिन उसके एवज में आज तक परिवार के किसी भी सदस्य को नौकरी प्रदाय नहीं किया गया है और प्रबंधक द्वारा बार-बार झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। एडीएम संतन देवी जांगड़े ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को जनदर्शन में प्राप्त सभी आवेदनों का परीक्षण कर यथासंभव निराकरण के निर्देश दिए।

पूर्व राज्यसभा सांसद के नाती की हत्या से मचा हड़कंप

बलौदाबाजार-रायपुर। आरएनएस

छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां हमले के बाद पूर्व राज्यसभा सांसद के नाती की मौत हो गई है। मृतक के शरीर पर धारदार हथियार के हमले से तीन गहरे जख्म मिले हैं। घटना से इलाके में हडक़ंप मच गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम मिशन परसाभदेर रोड में ग्राम मिशन परसाभदेर रोड में खून से लथपथ युवक मिला। जिसके बाद उसे अस्पाल लाया गया। यहां इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। युवक की पहचान ज्ञानेश मिश्रा पिता आनंदस्वरूप मिश्रा के रूप में हुई है, जो पूर्व राज्यसभा सदस्य रहे स्व भुपेन्द्र नाथ मिश्रा का नाती बताया जा रहा है। घटना को लेकर कोतवाली थाना प्रभारी अजय झा ने बताया कि युवक रक्तरंजित अवस्था में मिला था। जिसे परिजनों ने चिकित्सालय में भर्ती कराया था। जहां उसकी मौत हो गई है। घटना स्थल पर काफी खून के निशान पाये गए हैं। हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही रिपोर्ट आती है, आगे की कार्रवाई की जाएगी।

महतारी वंदन योजना को लेकर सदन हुआ गर्म : विपक्ष ने नाराज होकर किया वॉकआउट

रायपुर। आरएनएस

विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक उमेश पटेल ने प्रदेश में महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पंजिकृत हितग्राही का मामला सदन में उठाया. उन्होंने पूछा कि क्या वर्तमान में हितग्राहियों की संख्या में कमी आई है? इस योजना में फर्जी नाम से लाभ लेने का मामला भी आया है? ये कहां-कहां संज्ञान में आया है? क्या इसके लिए सत्यापन का कोई नियम है? मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने इस पर जवाब देते हुए बताया कि प्रथम पंजीयन 20/2/2024 तक कुल 70,27,154 हितग्राही द्वारा किया गया था. पंजीकृत आवेदकों में 69,63,621 हितग्राही पात्र हैं। उन्होंने बताया कि हितग्राहियों में कमी आई है, लेकिन हितग्राही की मृत्यु होने लाभ त्याग करने और दो आवेदन के प्रकरण या अपात्र होने के कारण आई है। फर्जी नाम से लाभ प्रात होने का मामला बस्तर जिले से प्रात हुआ है. विधायक उमेश पटेल इस मामले में आगे पूछा कि आज की स्थिति में कम लोग हैं आपने जांच कितनी बार कराई और कब कब कराई है?इस पर जवाब देते हुए मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि योजना के बारे जो हमने आंकड़ा बताया है इसमें कमी आने का कारण कई लोगों की मृत्यु कई का लाभ त्याग हुआ है. जांच समय-समय पर होती है। डेट उपलब्ध करा दी जाएगी। विधायक उमेश पटेल ने कहा कि कई अपात्र निकले हैं एक मामला बस्तर से प्राप्त हुआ इसकी जांच कराई गया है क्या? मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि बस्तर जिले के एक गांव में फर्जी नाम से पैसा लिया जा रहा था, जिसमें कार्यवाही कार्यकर्ता पर कार्यवाही की गई थी. यह विषय जब आया तब विभाग ने निर्देशित किया था. विधायक पटेल ने पूछा आपने जांच कब कराया कोई तारीख? समय-समय पर जांच होते रहते हैं. मामला संज्ञान में आने के बाद भी जांच नहीं हो रही. हितग्राही के लिए इसकी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए? मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जवाब देते हुए कहा कि सबसे पहले लाभार्थी आयकरदाता न हो, वर्ग 123 में शामिल न हो, पात्रता श्रेणी के लिए 21 वर्ष या उससे अधिक उम्र हो, शादीशुदा हो, विधवा भी हो सकती है, लेकिन आयकरदाता नहीं होना चाहिए. विधायक उमेश पटेल ने पूछा कि घोषणा पत्र में केवल आयकर की बात रखी थी, फिर क्राइटेरिया क्यों बताया जा रहा है?मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जवाब देते हुए कहा कि 2023 के चुनाव में हमने इस योजना एक तहत लाभ देने का वादा किया था जो पहली किस्त में हमने उन्हें उपलब्ध भी कराया. पूर्ववर्ती सरकार में इन्होंने भी यह वादा किया था वो तो दिखा ही नहीं पर हमने कम समय में इस योजना का लाभ पहुंचाया है. विधायक उमेश पटेल ने पूछा कि जो महिलाएं 60 साल के ऊपर है और वो हितग्राही हुआ उन्हें पेंशन मिल रहा है तो क्या उसे कटा जा रहा है या 500 रु दी जा रही है? मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जवाब देते हुए कहा कि उन्हें अंतर की राशि दी जा रही है.

विधायक पटेल ने पूछा, यह तो आप लोग महिलाओं के साथ धोखा कर रहे हैं. जरूरतमंद महिलाओं को पूरा पैसा नहीं दिया जा रहा है. आप स्पष्ट रूप से घोषणा करें कि उनकी 500 की राशि नहीं काटी जाएगी.मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जवाब देते हुए कहा कि आपने 5 साल तो विधवा महिलाओं को 1000 रु नहीं दे पाए. हम तो अब कई बार किस्त दे पाए हैं. सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घोषणा करने को लेकर तीखी बहस सत्ता पक्ष के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने सदन से वॉक आऊट किया. नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने कहा कि वित्त मंत्री के बजट पर चर्चा हो रही है, लेकिन खुद वित्त मंत्री सदन में मौजूद नहीं हैं. इस पर 'हम भाषण देना नहीं चाहते' कहकर विपक्षी सदस्य सदन से बाहर चले गए. इस पर आसंदी ने विधानसभा की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी.

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480